भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 983

दिनांक 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात और आयात से संबंधित छलपूर्ण तौर–तरीके

983. श्री के0 के0 रागेशः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसी खबरें प्राप्त हुई हैं कि कुछ कंपनियाँ सीमा–शुल्क और निर्यात–संवर्धन संबंधी प्रोत्साहन के उपायों का लाभ उठाने तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दी जाने वाली विशेष रियायतें प्राप्त करने के लिए निर्यात और आयात से संबंधित छलपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पिछले तीन वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो जानकारी में आई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या क्या है;

(घ) निर्यात और आयात से संबंधित ऐसी छलपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) ऐसी कंपनियों को इस तरह की छलपूर्ण गतिविधियों से सरकारी खजाने को कितने धन की क्षति हुई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) और (ड.) जी, हाँ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विनियामक अभिकरणों जैसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आसूचना ब्यूरो निदेशालय (डीआरआई) और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा सीमाशुल्क और निर्यात संवर्धन प्रोत्साहनों के दुरूपयोग से संबंधित मामलों पर निर्णय दिए गए अथवा निर्णयाधीन/पता लगाए गए/पंजीकृत मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i) विदेश व्यापार महानिदेशालय में निर्णय दिए गए/निर्णयाधीन मामलेः–

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	नियोजित राशि (रुपये करोड़ में)
2012-13	170	42.31
2013-14	77	73.17
2014-15	33	129.95
कुल	**280**	**245.43**

ii) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पता लगाए गए मामले:

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	नियोजित राशि (रुपये करोड़ मे)
2012-13	93	913.71
2013-14	231	1474.34
2014-15	146	1699.07
कुल	**470**	**4087.12**

iii) : सीबीआई द्वारा पंजीकृत मामले

वर्ष	पंजीकृत मामलों की कुल संख्या	नियोजित राशि (रुपये करोड़ में)
2012	05	10.89
2013	08	63.24
2014	03	3.93
कुल	**16**	**78.06**

iv) इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) में, 13 इकाइयों को पिछले तीन वर्षों में निर्यात और आयात से संबंधित छलपूर्ण गतिविधियों में शामिल पाया गया है।

(घ) सरकार के विभिन्न विनियामक अभिकरण जैसे सीबीआई, डीआरआई, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और डीजीएफटी, छलपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निर्यात और आयात से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर नियमित रुप से और सतर्कता से निगरानी रखते हैं।

.....